न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 104/2019 दायरा दिनांक : 30.07.2019

उनवान

1— सत्यनारायण पुत्र चतुर्भुज, जाति लुहार, निवासी 1 एन 16, चौथमाता मंदिर के सामने, टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा, कोटा

2— मदन मोहन पुत्र चतुर्भुज, जाति लुहार, निवासी 1 एन 16, चौथमाता मंदिर के सामने, टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा, कोटा

3— हरिओम पुत्र चतुर्भुज, जाति लुहार, निवासी 1 एन 16, चौथमाता मंदिर के सामने, टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा, कोटा

4— जगन्नाथ पुत्र देवलाल, जाति लुहार, निवासी ग्राम लेसरदा, तहसील केशवराय पाटन, जिला बून्दी

5— रघुनाथी बाई पुत्री देवलाल, जाति लुहार, निवासी ग्राम जेथल, तहसील केशवराय पाटन, जिला बून्दी

6— तुलसा बाई पुत्री देवलाल, जाति लुहार, निवासी ग्राम लेसरदा, तहसील केशवराय पाटन, जिला बून्दी

.... अपीलांट

बनाम

1— नरेन्द्र कुमार पुत्र बाबू लाल, जाति खाती, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

2— रामनाथी बाई बेवा बाबू लाल, जाति खाती, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

3— चन्द्र प्रकाश पुत्र बाबू लाल, जाति खाती, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

4— नरेश कुमार पुत्र बाबू लाल, जाति खाती, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

5— कोशल्या पुत्री बाबू लाल, जाति खाती, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

6— कमलेश पुत्री बाबू लाल, जाति खाती, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

7— चन्द्रकांती पुत्री बाबू लाल, जाति खाती, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

8— ममता पुत्री बाबू लाल, जाति खाती, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

9— धन्नी बाई बेवा देवी लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

10— रामकिशन पुत्र देवी लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

11— रामप्रताप पुत्र देवी लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

12— ज्ञानचन्द पुत्र देवी लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

13— रविकांत पुत्र हेमराज, जाति मीणा, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

14— अरविन्द पुत्र हेमराज, जाति मीणा, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

15— लक्ष्मी बाई पुत्री हेमराज, जाति मीणा, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

16— कमलेश बाई बेवा हेमराज, जाति मीणा, निवासी ग्राम लेवा, तहसील बारां, जिला बारां

17— स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार बांरा

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री मदन लाल गालव, ओम प्रकाश प्रतापति अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 27.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 109/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 8 द्वारा रेस्पोडेंट क्रम 9 लगायत 17 व अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 व धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें अपीलांट के कब्जे व खाते की भूमि खसरा नम्बर 466 की रकबा 0.89 हेक्टर भी शामिल की गई थी, जिसमें अपीलांट को सूचना एवं सूनवायी का अवसर दिये बगैर ही उक्त भूमि वादीगण के खाते बांधे जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया था, अपीलांट पिछले 40 वर्षों से लगातार कोटा में निवासी करते चले आ रहे हैं, जिनके निवास की पहचान पत्र, आधार कार्ड प्रस्तुत किये हैं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट का पता वाद में ग्राम खैराली, तहसील बारां का लिखा गया था और उसी पते पर तामील मानकर अपीलांट की अनुपस्थिति बताते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्यक है । अधीनस्थ न्यायालय ने सूचना व सुनवायी का अवसर दिये बगैर निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अपीलांट पिछले 40 वर्षों से लगातार कोटा में निवास कर रहे हैं जिसके निवास के सभा साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को ग्राम खैराली तहसील बारां में नोटिस तामील होना गलत माना गया है । खसरा नम्बर 466 रकबा 0.89 हेक्टर अपीलांट के कब्जे काश्त की है जिसे बिना किसी आधार व अधिकार के अपीलांट के खाते दर्ज करने में त्रुटि की है क्योंकि उक्त प्रकरण में विधिवत रूप से

अपीलांट के निवास स्थान पर अपीलाधीन वाद की सूचना दी जाती तो अपीलांट वाद का अपना जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करता व वादी का वाद डिक्री किसी भी सूरत में नहीं हो सकता था । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 03.07.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रावधानों का उल्लंघन किया है । अतः अपास्त किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2018 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा